FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0289 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/11/2025 16:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	193
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 06/01/2022 Date To (दिनांक तक): 02/03/2022

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 18:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/11/2025 Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 10/11/2025 16:31:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 150 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): NAGAR PALIKA NAVA, KUCHAMAN DIDWANA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MEHTAB SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHIVDAN RAM JAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1951 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	116, RAIL NAGAR, NIRMAN NAGAR, NIRMAN NAGAR,JAIPUR, SHYAM NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	116, RAIL NAGAR, NIRMAN NAGAR, NIRMAN NAGAR,JAIPUR, SHYAM NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SIKESH KANKRIYA		पिता:KAMAL KANKRIYA	1. GOGELAW,NAGAUR,SADAR NAGAUR,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA
2	PRINCE SAINI		पिता:JAGDISH PRASAD	1. WARD NO. 19,SYAM COLONY,PARBATSAR,डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN,INDIA
3	SURESH KUMAR MEENA		पिता:RAMNIWAS MEENA	1. PANCHOTA,NAWA,NAWA, डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN, INDIA
4	HASAN KHAN		पिता:BHANWRU KHAN	1. KYAMKHANI MOHALLA, NAWA,NAWA,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA

5	SADDAM HUSAIN		पिता:BHANWRU KHAN	1. KYAMKHANI MOHALLA, NAWA,डीडवाना-कुचामन, RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री महताब सिंह, नावां, हाल-116, रेल नगर, निर्माण नगर, जयपुर द्वारा ब्यूरो मुख्यालय पर एक टाईपषुदा शिकायत इस आशय की प्रेषित की गई कि प्रार्थी की पत्नी का एक भूखण्ड 30-70 फुट जिसका खसरा नम्बर [redacted] है। जो नावां शहर में स्थित है। जिसके पट्टे के आवेदन हेतु माह दिसम्बर 2021 में नगर पालिका नावां अधिशाषी अधिकारी के कार्यालय में निवेदन किया था। जिसकी रसीद पुस्तक संख्या 19 क्रमांक 57 दिनांक 03.12.2021 है, जो शिकायत के संलग्र है। इसके पश्चात प्रक्रिया प्रारम्भ कर स्थानीय समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकरण प्रकाशित किया था, लेकिन अधिशाषी अधिकारी ने स्थानीय पटवारी से सांठ गांठ कर हुसैन खां नामक व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर आपत्ति दर्ज करवाई और मेरी पत्नी की पत्रावली अनिर्णय की स्थिति में छोड़कर उसकी आपत्ति के आधार पर हमें बिना सुने हुसैन खां नामक व्यक्ति को फर्जी दस्तावेज के आधार पर घूस लेकर पट्टा जारी कर दिया जबकि हम उस भूखण्ड पर 1988 से काबिज है और बाउन्ड्री बनाकर आज भी हमारा कब्जा व अधिकार है। माननीय जिलाधीश कार्यालय नागौर में तहसील कार्यालय नावां से प्रार्थीया के पक्ष रिकार्ड में नाम दर्ज है। लेकिन भ्रष्ट अधिशाषी अधिकारी नावां व स्थानीय पटवारी जिसने इस भ्रष्ट आचरण में सहयोग कर भारी भरकम घूस की रकम लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी पट्टा जारी कर दिया है। कृपया अविलम्ब अधिशाषी अधिकारी कार्यालय की दोनों पत्रावलियां जब्त कर अभियोग पंजिबद्ध कर विधिक कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा षिकायत आर नम्बर 4861 दिनांक 02.08.2022 विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नांवा व अन्य दर्ज कर विस्तृत जांच हेतु धारा 17-ए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संषोधित 2018) के तहत पुर्वानुमोदन स्वीकृती का ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नांवा, जिला नागौर व अन्य के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर प्राथमिक जांच संख्या 33/2024 दिनांक 31.07.2024 विरूद्ध अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नावां, जिला नागौर व अन्य पंजीबद्ध कर सत्यापन हेतु चैकी हाजा पर प्राप्त हुई। दौराने सत्यापन प्राथमिक जांच में अंकित आरोपों से सम्बन्धित नगरपालिका नावां से रिकार्ड प्राप्त किया गया एवं सम्बन्धित गवाहान परिवादी श्री महताब सिंह, जगदीष प्रसाद रूहेला, श्रीराम बेनीवाल, श्री इन्द्राराम, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री उमेष कुमार, श्री रामेष्वरलाल गढवाल, श्रीमती इन्द्रावती, श्रीमती मनीषा चैधरी, श्री विरेन्द्र कुमार डूडी, वरिष्ठ सहायक, श्री सद्दाम हुसैन, श्री हसन खां, श्री बृज मोहन, श्री हरलाल सिंह, अतिरिक्त कानूनगो, श्री शिवराज सिंह अतिरिक्त कानूनगो के बयान लेखबद्ध किये गये तथा श्री शिकेश कांकरिया अधिशाषी अधिकारी, श्री प्रिन्स सैनी अरबन टाउन प्लानर, श्री सुरेश कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक, श्री रविन्द्र सिंह पटवारी के स्पष्टीकरण कथन लेखबद्ध किये गये। नगरपालिका नावां से प्राप्त रिकार्ड, बयानात गवाहान व स्पष्टीकरण कथन संदिग्ध आरोपीगणों से दौराने सत्यापन पाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान वर्ष 2021 के दौरान दिनांक 03.12.2021 को आवेदक श्रीमती इन्द्रावती पत्नी महताबसिंह निवासी नावां व श्री जगदीशप्रसाद रूहेला पुत्र श्री नोलाराम रूहेला निवासी नावां ने एक प्रार्थना-पत्र अधिशाषी अधिकारी नावां के नाम एक भूखण्ड 35*70 फुट जिसका खसरा नम्बर [redacted] जो

कि नावां शहर में स्थित है उक्त भूमि के आवंटन/नियमितिकरण हेतु प्रारूप-14 में कृषि से अकृषि, आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका तत्कालीन लिपिक सुरेश मीणा द्वारा पत्रावली संधारण कर श्री शिकेश कांकरिया, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नावां को प्रस्तुत की, जिस पर अधिशाषी अधिकारी श्री शिकेश कांकरिया द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र, शपथ पत्र, नक्शा, तहसीलदार नावां द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित पत्र जिसमें कस्टोडियन भूमि से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी, जिसमें आवेदक का उक्त खसरे में नाम दर्ज था, प्रस्तुत की थी। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा पत्रावली में बिजली बिल, नल कनेक्शन बिल तथा पड़ौसीयों के शपथ पत्र, वोटरलिस्ट आदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात शामिल नहीं किया गया था। तत्पश्चात अधिशाषी अधिकारी श्री शिकेश कांकरिया द्वारा सम्बन्धित शाखा के लिपिक को निर्देशित कर दिनांक 16.12.2021 को प्रक्रिया आरंभ की जाकर दिनांक 17.12.2021 को स्थानीय समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकरण राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया था। जिस पर दिनांक 18.12.2021 को श्री हसन खां पुत्र श्री भंवर खां जाति कायमखानी निवासी कायमखानी मौहल्ला, नावां द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई। जिस पर उक्त आवेदक श्रीमती इन्द्रावती व श्री जगदीशप्रसाद की पत्रावली हक/पट्टे के सबूत के अभाव में पत्रावलीयां अनिर्णय की स्थिति में छोड़ी गई, जिसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड हेतु दिनांक 21.12.2021 को आवेदक श्री हसन खां पुत्र भंवरू खां निवासी कायमखानी मौहल्ला, नावां ने तथा उक्त भूखण्ड के पास स्थित भूखण्ड हेतु श्री सदाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां निवासी कायमखानी मौहल्ला, नावां ने पृथक-पृथक अधिशाषी अधिकारी नावां के नाम भूमि के आवंटन/नियमितिकरण हेतु प्रारूप-1(69ए) के तहत आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदन प्रस्तुत किये थे। उक्त आवेदनों के साथ आवेदनकर्ता श्री हसन खां व सदाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां द्वारा आवेदन पत्र, स्वयं के शपथ पत्र, पड़ौसियों के शपथ पत्र, बिजली बिल, नल कनेक्शन बिल, नगरपालिका द्वारा जारी नल एन.ओ.सी. हेतु अनापति प्रमाण पत्र, वर्ष 1980 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक के पिता का नाम, वर्ष 2010 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक स्वयं हसन खां के नाम से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रति, सन् 2017 में पटवारी द्वारा जारी खसरा संख्या 1908/1547 में कब्जे का प्रमाण पत्र, भूखण्ड के मौके के फोटोज तथा उक्त भूखण्ड का नक्शा इत्यादि दस्तावेजात प्रस्तुत किये थे, तत्पश्चात अधिशाषी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शाखा के लिपिक को निर्देशित कर दिनांक 24.12.2021 को प्रक्रिया आरंभ की जाकर स्थानीय समाचार पत्र में आपत्ति आमंत्रित करने हेतु प्रकरण राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया था, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में श्री प्रिन्स सैनी, तत्कालीन अरबन टाउन प्लानर से उक्त भूखण्ड की मौकास्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। श्री प्रिन्स सैनी, तत्कालीन अरबन टाउन प्लानर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में आवेदकगणों का उक्त भूखण्ड पर रहवास होना, प्रस्तुत नक्शा अनुसार माप होना एवं भूखण्ड नगरपालिका क्षेत्र में होना अंकित किया गया। प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त दोनों आवेदको से पृथक-पृथक 2100-2100 रूपये विज्ञप्ति शुल्क एवं 501-501 रूपये पट्टा शुल्क, कुल 2601-2601 रूपये पृथक-पृथक जमा करवाकर रसीदें जारी की जाकर आवेदक श्री हसन खां पुत्र श्री भंवरू खां को पट्टा क्रमांक 205 दिनांक 06.01.2022 एवं आवेदक श्री सदाम हुसैन पुत्र भंवरू खां को पट्टा क्रमांक 452 दिनांक 02.03.2022 को अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नावां व अध्यक्ष नगरपालिका नावां के हस्ताक्षरो से जारी किया जाकर आवेदको को मूल पट्टा विलेख की दो-दो प्रतियां दी गई। दिनांक 31.08.2022 को श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नोलाराम रूहेला ने नगरपालिका नावां के कार्यालय में उपस्थित होकर श्री हसन खां पुत्र श्री भंवरू खां पत्रावली क्रमांक 205/2021-22 तथा श्री सदाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां पत्रावली क्रमांक 452/2021-22 उक्त पत्रावलियों में जारी पट्टों को निरस्त करने के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके साथ अपने स्वयं के नाम का बिजली बिल, तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर नागौर को प्रेषित पत्र की प्रति तथा श्री हसन खां द्वारा बिजली विभाग में प्रस्तुत क्षतिपूर्ति बंध पत्र की प्रति प्रस्तुत की। जिस पर श्री जगदीश प्रसाद रूहेला पुत्र श्री नोलाराम रूहेला की शिकायत से नगरपालिका मण्डल नावां के पुनः ध्यान में आया तो पालिका द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदत शक्तियों तथा निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 09.05.2022 की अनुपालना में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73बी के तहत श्री हसन खां पुत्र श्री भंवरू खां निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन, खाखड़की चैराहा, नावां शहर को जारी पट्टा क्रमांक 205/2021-22 दिनांक 06.01.2022 व श्री सदाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन, खाखड़की चैराहा, नावां शहर को जारी पट्टा क्रमांक 452/2021-22 दिनांक 02.03.2022 को पालिका आदेश क्रमांक 1406 एवं 1425 दिनांक 17.10.2022 द्वारा निरस्त किया गया। जिस पर पट्टा धारक श्री हसन खां द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में नगर पालिका द्वारा जारी पट्टा निरस्त आदेश के खिलाफ याचिका संख्या एसबी सिविल रिट पिटिशन नम्बर 16359/2022 व श्री सदाम हुसैन द्वारा याचिका संख्या डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2024 दायर करवाई गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट पिटिशन को खारिज किया गया।

सत्यापन से पाया गया कि श्री शिकेश कांकरिया तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पूर्व से दिनांक 18.12.2021 को आवेदक श्रीमती इन्द्रावती व श्री जगदीष प्रसाद की पत्रावलियों में कोई कार्यवाही नहीं कर अनिर्णय की स्थिति में छोड़ते हुए कार्यालय टिप्पणी का अपूर्ण संधारण कर दिनांक 21.12.2021 को आवेदक श्री हसन खां व श्री सद्दाम हुसैन के आवेदन

पर पट्टा जारी किया गया था, जिसमें तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा श्री हसन खां व सद्दाम हुसैन का पूर्व में कस्बा नावां के वार्ड संख्या 8 में पैतृक मकान होते हुए भी खाकड़की रोड़, वार्ड नं. 3, कस्बा नावां में अन्य कब्जासुदा आवासीय पट्टा जारी करना तथा श्री हसन खां के उक्त भूखण्ड में वाणिज्यिक गतिविधियां होते हुए भी उक्त भूखण्ड का आवासीय पट्टा जारी करना तथा श्री सद्दाम हुसैन के भूखण्ड में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होते हुए भी खाली भूखण्ड को आवासीय रहवासी मकान बताकर पट्टा जारी करना, वर्ष 1980 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक के पिता का नाम वर्ष 2010 की निर्वाचन नामावली में आवेदक स्ंवय के नाम से संबंधित दस्तावेज की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की गई थी, जो खाकड़की रोड़, नावां की नहीं होकर पुस्तैनी रहवासी मकान, वार्ड नं0 8, कस्बा नावां की थी, उक्त आरोप प्राथमिक जांच के सत्यापन से प्रमाणित है।

सत्यापन से पाया गया कि श्री प्रिंस सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका नावां द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री शिकेश कांकरिया के आदेशनुसार आवेदक श्री हसन खां के भूखण्ड पर उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कर मौका रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड को रहवासी मकान हसन खां का होना बताया तथा आवासीय उपयोग में लिया जाना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया जबकि उक्त भूखण्ड में हसन खां द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ दूकान व सर्विस सेन्टर का कार्य किया जा रहा था तथा आवेदक श्री सद्दाम हुसैन द्वारा आवेदित भूखण्ड की मौका रिपोर्ट में आवेदक के भूखण्ड पर भवन निर्माण होना अंकित किया गया, जबकि उक्त भूखण्ड मौके पर आज भी खाली पड़ा है, जो मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर किये गये भौतिक सत्यापन से प्रमाणित है।

सत्यापन से पाया गया कि श्री सुरेश कुमार मीणा वरिष्ठ सहायक नगर पालिका नावां द्वारा आवेदक श्रीमती इन्द्रावती व श्री जगदीश रूहेला की पत्रावलियों को संधारित करते हुए कोई कार्यालय टिप्पणी नहीं करना तथा ना ही कोई आवेदकों को नोटिस जारी करना तथा आवेदक श्री हसन खां व श्री सद्दाम हुसैन की पत्रावलियों का संधारण करते हुए उक्त पत्रावलियों में पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते हुए भी पट्टे जारी करने के लिए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी के समक्ष नोट शीट प्रस्तुत कर पट्टे जारी करवाना सत्यापन से प्रमाणित है।

सत्यापन से पाया गया कि लाभार्थी श्री हसन खां द्वारा अपना पुस्तैनी मकान कस्बा नावां के वार्ड संख्या 8 में होते हुए भी खाकड़की रोड़ नावां वार्ड संख्या 3 में कब्जा सुदा भूखण्ड में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करते हुए भी आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा जारी करवाना, मिथ्या क्षति पूर्ति बंध पत्र किरायानामा का बिजली विभाग को प्रस्तुत करना तथा वर्ष 1980 व वर्ष 2010 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक के पिता का व स्वयं आवेदक का नाम वार्ड संख्या 8 में होते हुए भी खाकड़की रोड़, वार्ड सं. 3, कस्बा नावां में स्थित कब्जा सुदा भूखण्ड के आवासीय नियमन हेतु आवेदन के साथ संलग्न कर पट्टा जारी करवाना सत्यापन से प्रमाणित है। लाभार्थी श्री सद्दाम हुसैन द्वारा अपना पुस्तैनी मकान कस्बा नावां के वार्ड संख्या 8 में होते हुए भी खाकड़की रोड़ नावां वार्ड संख्या 3 में कब्जा सुदा भूखण्ड में कोई निर्माण कार्य नहीं होते हुए भी भवन निर्मित होना बताकर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा जारी करवाना, वर्ष 1980 व वर्ष 2010 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक के पिता का व स्वयं आवेदक का नाम वार्ड संख्या 8 में होते हुए भी खाकड़की रोड़, वार्ड सं. 3, कस्बा नावां में स्थित कब्जा सुदा भूखण्ड के आवासीय नियमन हेतु आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज कर पट्टा जारी करवाना सत्यापन से प्रमाणित है।

प्राथमिक जांच के सत्यापन से पाया गया कि श्री शिकेश कांकरिया तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा पूर्व से दिनांक 18.12.2021 को आवेदक श्रीमती इन्द्रावती व श्री जगदीष प्रसाद की पत्रावलियों में कोई कार्यवाही नहीं कर अनिर्णय की स्थिति में छोड़ते हुए श्री सुरेष मीणा वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय टिप्पणी का अपूर्ण संधारण कर दिनांक 21.12.2021 को आवेदक श्री हसन खां व श्री सद्दाम हुसैन के आवेदन पर पट्टा जारी किया गया था, जिसमें तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा श्री हसन खां व सद्दाम हुसैन का पूर्व में कस्बा नावां के वार्ड संख्या 8 में पैतृक मकान होते हुए भी खाकड़की रोड़, वार्ड नं. 3, कस्बा नावां में अन्य कब्जासुदा आवासीय पट्टा जारी करवाना तथा श्री हसन खां के उक्त भूखण्ड में वाणिज्यिक गतिविधियां होते हुए भी उक्त भूखण्ड का रहवासीय आवासीय मकान बताकर श्री प्रिंस सैनी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मिथ्या मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आवासीय पट्टा जारी करवाना तथा श्री सद्दाम हुसैन के भूखण्ड में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होते हुए भी खाली भूखण्ड को आवासीय रहवासी मकान बताकर मिथ्या मौका रिपोर्ट बनाकर पट्टा जारी करवाना, एवं लाभार्थी आवेदक श्री हसन खां व श्री सद्दाम हुसैन द्वारा मिलीभगत कर वर्ष 1980 व वर्ष 2010 की निर्वाचन नामावली जिसमें आवेदक के पिता का व स्वयं आवेदक का नाम वार्ड संख्या 8 में होते हुए भी खाकड़की रोड़, वार्ड सं. 3, कस्बा नावां में स्थित कब्जा सुदा भूखण्ड के आवासीय नियमन हेतु आवेदन के साथ संलग्न करना व मिथ्या क्षति पूर्ति बंध पत्र किरायानामा बिजली विभाग को प्रस्तुत करना, भूखण्ड में वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होते हुए भी व बिना निर्माण होते हुए भी निर्मित भवन के आवासीय पट्टे हेतु आवेदन कर पट्टा जारी करवाना सत्यापन से प्रमाणित है।

जिससे आरोपीगण 1. श्री शिकेश कांकरिया पुत्र श्री कमल कांकरिया, जाति जैन, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोगेलाव, पुलिस थाना सदर नागौर, तहसील व जिला नागौर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नरैना, जिला जयपुर ग्रामीण, 2. श्री प्रिन्स सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद

सैनी, जाति माली, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 19, श्याम कॉलोनी, परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन तत्कालीन अरबन टाउन प्लानर (संविदाकर्मी) नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल एम.आई.एस. स्वच्छ भारत मिशन, नगरपालिका परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन (संविदाकर्मी), 3. श्री सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामनिवास मीणा, जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पांचोता, पुलिस थाना नावां, तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन तत्कालीन कनिष्ठ सहायक नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, नगरपालिका मण्डल परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन, 4. श्री हसन खां पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 41 वर्ष, निवासी कायमखानी मोहल्ला, नांवा, जिला डीडवाना-कुचामन (लाभार्थी), 5. श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कायमखानी मोहल्ला, नांवा, जिला डीडवाना-कुचामन (लाभार्थी) का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7, 13(1) (ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 193 व 120बी भादसं का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजिबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।
भवदीया एसडी/-(कल्पना सोलंकी)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौर....................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती कल्पना सोलंकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13(1) (ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 193 व 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री शिकेश कांकरिया पुत्र श्री कमल कांकरिया, जाति जैन, उम्र 30 वर्ष, निवासी गोगेलाव, पुलिस थाना सदर नागौर, तहसील व जिला नागौर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी चतुर्थ, नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नरैना, जिला जयपुर ग्रामीण, 2. श्री प्रिन्स सैनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैनी, जाति माली, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 19, श्याम कालोनी, परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन तत्कालीन अरबन टाउन प्लानर (संविदाकर्मी) नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल एम.आई.एस. स्वच्छ भारत मिशन, नगरपालिका परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन (संविदाकर्मी), 3. श्री सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामनिवास मीणा, जाति मीणा, उम्र 38 वर्ष, निवासी पांचोता, पुलिस थाना नावां, तहसील नावां, जिला डीडवाना-कुचामन तत्कालीन कनिष्ठ सहायक नगरपालिका नावां, जिला नागौर हाल वरिष्ठ सहायक, नगरपालिका मण्डल परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन, 4. श्री हसन खां पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 41 वर्ष, निवासी कायमखानी मोहल्ला, नांवा, जिला डीडवाना-कुचामन (लाभार्थी), 5. श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री भंवरू खां, जाति कायमखानी, उम्र 30 वर्ष, निवासी कायमखानी मोहल्ला, नांवा, जिला डीडवाना-कुचामन (लाभार्थी) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती वंदना भाटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 174 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1640-45 दिनांक 10.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1,जोधपुर, 2- निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल, नावां 4 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर। 6-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर- (प्राथमिक जॉच 33/2024) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 /2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(if known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	1997				
3	Male	1987				
4	Male	1984				
5	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)